रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 557] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2017

का.आ. 623(अ)— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के, जो राष्ट्रीय महिला कोष का प्रशासन करता है, तत्वावधान में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी तथा गरीब महिलाओं को ग्राहक अनुकूल रीति से रियायती निबंधनों पर जीविका तथा आय जनन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म उधार उपलब्ध कराता है जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके;

और राष्ट्रीय महिला कोष ऋण संवर्धन स्कीम, मुख्य ऋण स्कीम, आवास ऋण स्कीम, कार्यकारी ऋण स्कीम सहित विभिन्न स्कीमों (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के माध्यम से उधार का वितरण करता है;

और महिला फायदाग्राहियों के लिए स्कीमों का संचालन मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला परिसंघों, आय जनन संबंधी क्रियाकलापों में लगे हुए सहकारी और अन्य स्वैच्छिक या सिविल सोसायटी संगठनों, आवास, सूक्ष्म उद्यमों आदि के माध्यम से किया जाता है;

और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा ऐसी स्कीमों हेतु उधार देने के प्रयोजनों के लिए समग्र अनुदान में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) राष्ट्रीय महिला कोष से प्रत्यक्ष रूप से या मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्तपोषण संगठनों के माध्यम से उधार संबंधी सेवाओं और प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार

अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) राष्ट्रीय महिला कोष से प्रत्यक्ष रूप से या सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों के माध्यम से उधार संबंधी सेवा और प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऐसी उधार संबंधी स्कीमों का प्रशासन कर रहा है जिसमें किसी व्यक्ति से आधार संख्यांक के होने का सबूत देते की अपेक्षा है और वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्यांक के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा;

परंतु ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से सेवाएं और प्रसुविधाएं दी जाएंगी अर्थात् :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड ; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी फोटो वाला कोई पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड ; या (vii) किसान फोटो पासबुक ; या (viii) कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेज़ों की जांच महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन हेतु अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा अर्थात् :

(1) ऐसी स्कीमों के अधीन आधार संख्यांक की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए उन्हें मीडिया और से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 31 मार्च, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण स्कीमों के अधीन फायदाग्राही नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय से यह अपेक्षित होगा कि वह राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों से उनका नाम, पता, मोबाईल नम्बर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के पहले परंतुक के खंड (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. – आरएमके-34/47/2016-आरएमके]

रश्मि सक्सेना साहनी,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2017

S.O.623(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Rashtriya Mahila Kosh (RMK), a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), under the aegis of the Ministry of Women and Child Development which is administering RMK and provides micro-credit to poor women for various livelihood and income generating activities at concessional terms in a client-friendly manner so as to bring about their socio-economic development;

And whereas RMK delivers the credit through various schemes including Loan Promotion Scheme, Main Loan Scheme, Housing Loan Scheme, Working Loan Schemes (hereinafter referred to as the Schemes);

And whereas the schemes are administered to the women beneficiaries through intermediary Micro-financing Organisations, Non-Governmental Organisations, Women Federations, Co-operatives and other Voluntary or Civil Society Organizations engaged in income generation activities, housing, micro-enterprises;

And whereas, the grant forming the corpus utilised for lending purposes for such schemes by RMK under Ministry of Women and Child Development, involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) All individuals desirous of availing the services and benefits of credit from RMK directly or through Intermediary Micro-financing Organisations are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the services and benefits of credit from RMK directly or through Intermediary Micro-financing Organisations who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identitification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Women and Child Development administering such credit schemes through RMK which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Women and Child Development through RMK may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identitification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, services and benefits through RMK shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If he or she has enrolled his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2 of Paragraph 2; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by the Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administrations:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry of Women and Child Development for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries through RMK, the Ministry of Women and Child Development, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices by Ministry of Women and Child Development, through RMK, shall be given to the beneficiaries of the Schemes to make them aware of the requirement of Aadhaar number under such Schemes and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017 in case they are not already enroled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(2) In case, beneficiaries under the Schemes are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Women and Child Development thorough RMK is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves and the beneficiaries under the Schemes may be requested to register their request for their enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the clause (b) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the Ministry of Women and Child Development through RMK or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No.RMK-34/47/2016-RMK]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.02.25 11:37:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.